न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जसपुर जिला उधम सिंह नगर।
फौजदारी परिवाद सं0–1266 / 2022
श्रीमती सोनावती बनाम रामअवतार आदि

<u>दिनांक 21.03.2023</u>

पुकार कराई गयी। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी न्यायालय उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादिनी को पूर्व नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थिति व धारा–202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। परिवादिनी आज भी उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को उक्त वाद को आगे चलाने में रूचि नहीं है। हस्तगत वाद लम्बित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली न्याय निर्णयन जे.के. इन्टर नेशनल प्रति स्टेट CRILJ-2601 दिनांकित 25.05.2001 में अवधारित किया गया है कि The power to dismiss the complaint at the pre summoning stage for non appearance of the complainant has to be read in section 203 Crpc.

अतः उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में हस्तगत परिवाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज सिंह राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जसपुर
जसपुर, उधम सिंह नगर।